फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

कमलेश बनाम प्रेमलता वगै0

मुकदमा संख्या : 138/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के जवाब में विचाराधीन है। पत्रवली में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश नही कर केवल रिपोर्ट पेश की। जो शामिल मिसल किया गया। उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार ने अवगत कराया कि खसरा नम्बर 319 मे कमलेश पत्नी कृपालसिंह हि0 31/81 जाति मीणा, प्रेमलता पत्नी रामकैलाश हि0 50/81 जाति मीणा सहखातेदार दर्ज है। व दोनों खातेदारें से दुरभाष पर सम्पर्क किया गया। सम्पर्क करने पर बताया कि कमलेश पत्नी कृपालसिंह ने अपना सम्पूर्ण हि0 रजि0 उपहार पत्र के जरिये दिनांक 01.08.25 से अपने पति कृपालसिंह पुत्र गिरधारी लाल के हक मे कर दिया व प्रेमलता पत्नी रामकैलाश ने रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 01.08.25 से अपना सम्पूर्ण हि0 कृपाल सिह के पक्ष में बेचान कर दिया है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 319 मे सम्पूर्ण हि0 कृपाल सिंह के नाम हो गया। अतः खातेदार एक ही होने के कारण प्राथमिक किश्ती बनाये जाने की आवश्यकता नही है। पत्रावली में वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का बेचान कृपालसिंह को कर दिया तथा वादी ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का उपहार पत्र अपने पति कृपालसिंह को कर दिया है। अतः अब वादांकित भूमि सम्पूर्ण रकबा कृपालसिंह पुत्र गिरधारी जाति मीना के नाम हो गई। ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी सं0 1 का उक्त वादांकित भूमि मे किसी प्रकार का कोई खातेदारी अधिकार नही बचता है। अतः बिना खातेदार के तकासमा नही किया जा सकता है। वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज करना उचित समझते है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।	